भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
20.07.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 499 का उत्तर

ट्रेनों के फेरे

499. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्यके वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में सामान्य, शयनयान और वातानुकूलित एसी सहित सभी ट्रेनों में प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या कितनी रही;
(ख) ट्रेनों की आवृत्ति और नई ट्रेनों की शुरुआत के निर्धारण संबंधी मानकों/मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रद्द हुई और विलंबित ट्रेनों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं;
(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेलवे की संपत्ति को कितना नुकसान हुआ है और इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) क्या तमिलनाडु में कम संख्या में नई ट्रेनें चलाई गई हैं और फेरे बढ़ाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(च) क्या रद्दीकरण/स्थगन की स्थिति में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा व्यवस्था की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

s.k

ट्रेनों के फेरे के संबंध में 20.07.2022 को लोक सभा डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे और श्री कुलदीप राय शर्मा द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 499 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी गाड़ियों में प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्री (मिलियन में)
2019-20	22.15
2020-21	3.42
2021-22	9.45

(ख): भारतीय रेल पर नई गाड़ियां चलाना और उनकी बारंबारता में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन व्यवहार्यता, संसाधन की उपलब्धता और वाणिज्यिक औचित्य, प्रतिस्पर्धी मांग आदि के अध्यधीन है।

(ग): रद्द और विलंबित (औसत प्रति दिन) मेल/एक्सप्रेस गाड़ी सेवाओं की संख्या निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	रद्द गाड़ियां	विलंबित गाड़ियां
2019-20	98	389
2020-21	15	24
2021-22	96	126
2022-23 (जून तक)	59	273

उक्त अवधि के दौरान गाड़ी सेवाओं में हुए विलंब/रद्द करने के कारण प्राकृतिक आपदाएं (लैंडसाइड/ट्रैक वॉशआउट/चक्रवात)), कोविड-19 और खराब अधिभोगिता, गैर-इंटरलॉकिंग कार्य/अवसंरचनात्मक के लिए ब्लॉक, अनुरक्षण और संरक्षा कार्य, आंदोलन, दुर्घटनाएं, कोहरे का मौसम, परिचालन संबंधी बाधाएं और परिसंपत्ति विफलताएं थी।

s.k

(घ): पिछले 3 वर्षों अर्थात् 2019, 2020 और 2021 के दौरान आंदोलनों में रेल परिसंपत्ति की क्षति के कारण भारतीय रेल द्वारा वहन की गई हानि क्रमशः 151 करोड़ रुपए, 904 करोड़ रुपए और 62 करोड़ रुपए हैं।

आंदोलनों के दौरान रेल परिसंपत्तियों की क्षति को रोकने के लिए राजकीय रेल पुलिस/ जिला पुलिस के समन्वय में रेलों द्वारा निम्न कदम उठाए जा रहे हैः

1. **संवेदनशील स्थानों पर दंगा निरोधी उपकरणों और अस्त्रों एवं सामग्रियों के साथ पुलिस/राजकीय रेल पुलिस की तैनाती।**
2. **इस प्रकार के मामलों में संयुक्त कार्रवाई की योजना तैयार करने के लिए राजकीय रेल पुलिस एवं राज्य पुलिस के साथ गहन समन्वय।**
3. **सभी आसूचना एजेंसियों से आसूचना इकट्ठा करना और बांटना।**
4. **साइबर पेट्रोलिंग और इस प्रकार की गतिविधियों के इनपुट प्राप्त करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकीय साधनों द्वारा तकनीकी आसूचना प्राप्त करना।**
5. **स्थिति के बारे में चेतावनी प्राप्त करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे संस्थापित करना और फीड को जांच/पूछताछ के उद्देश्य से देखा जाता है।**
6. **दंगों जैसी संभावनाओं से प्रभावी पर प्रतिक्रिया देने के लिए भीड़ नियंत्रण अभ्यास देकर दंगों/गैर-कानूनी सभा से निबटने के लिए रेल सुरक्षा बल कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।**
7. **दंगों जैसे मामलों में आपराधिक आसूचना एकत्रित करने और उसे बांटने के लिए तैयारी पर चर्चा करने के लिए राजकीय रेल पुलिस/सिविल पुलिस के साथ नियमित समन्वय बैठकें की जा रही हैं।**

(ङ): कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए, भारतीय रेलवे ने सभी नियमित यात्री गाड़ियों को 23 मार्च, 2020 से बंद कर दिया था। इसके अलावा, भारतीय रेलवे राज्य-वार आधार पर गाड़ी सेवाएं नहीं चलाती है क्योंकि रेलवे नेटवर्क राज्य की सीमाओं के आर-पार फैला हुआ है। बहरहाल, दक्षिण रेलवे में 10 जोड़ी गाड़ियां शुरू की गई हैं और एक जोड़ी गाड़ी सेवा की आवृत्ति में वृद्धि की गई है, जो मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 (30.06.2022 तक) के दौरान तमिलनाडु राज्य में स्थित विभिन्न स्टेशनों पर प्रारंभिक/समापन आधार पर सेवा प्रदान करती है।

s.k

(च): गाड़ियों को रद्द करने, विलंब से चलने आदि के मामले में, रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराया वापसी) नियम 2015 के अनुसार टिकट रद्द करने और किराए की वापसी की जाती है। साथ ही, यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय उनके द्वारा साझा किए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है। टिकटों के सुचारू रद्दकरण/पुन: बुकिंग की सुविधा के लिए अतिरिक्त काउंटरों का प्रावधान भी आवश्यकतानुसार किया जाता है।

*****

s.k